प्रेस नोट थाना कांट

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 24.0425

"थाना कांट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 210/2025 धारा 85/109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एंव अवैध शस्त्र , मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एंव चिन्हित किये गये अपराधियों, वाछित एंव वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य मे प्रचलित अभियान के क्रम मे, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कांट के नेतृत्व में दिनांक 24.04.2025 को अभियुक्त शकील अहमद उर्फ नन्हें पुत्र मकबूल खाँ निवासी मो0 शेखान कस्बा व थाना काँट जिला शाहजहाँपुर को समय करीब **23.56** बजे शीतला माता मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 50 कदम की दूरी से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

संक्षिप्त विवरण-

वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर दिनाँक 23.04.2025 को मु0अ0स0 210/2025 धारा 85/109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बाबत 1. शकील अहमद उर्फ नन्हे पुत्र मैकबूल खाँ निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा वादिनी की पुत्री निगार उर्फ रीना को दहेज के लिये प्रताडित करना व दहेज की मांग करने व मांग पूरा न करने पर वादिनी की पुत्री को रहीश मियाँ उर्फ शहजाद पुत्र नाम नामालूम निवासी अज्ञात के कहने पर अभियुक्त शकील अहमद उर्फ नन्हे उपरोक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर देना जिससे वादिनी की पुत्री का गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत है जिसमे अब तक की तामीमी विवेचनात्मक कार्यवाही मे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के तमंचे से फायर करने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अपराध होना पाया गया। अतः उक्त मुकदमे को धारा 85/109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट मे परिवर्तित किया गया है।

अभियुक्त शकील अहमद उर्फ नन्हे के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0स0 785/2019 धारा 420 भादवि चालानी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर बनाम अभियुक्त शकील अहमद उर्फ नन्हे पुत्र मैकबूल खाँ निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का दिनांक , समय व घटनास्थल –

दिनांक 23.04.2025 समय 23.56 बजे , शीतला माता मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 50 कदम की दूरी से

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

क्र0सं0	नाम	आपराधिक इतिहास
1	शकील अहमद उर्फ नन्हे पुत्र मैकबूल खाँ निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर	1. मु0अ0स0 210/2025 धारा 85/109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर 2. मु0अ0स0 785/2019 धारा 420 भादवि चालानी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

विवरण गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री घनश्याम बहादुर
2. का0 1848 देवेन्द्र कुमार
3. का0 2539 कुलदीप धामा